

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी एम /2020/ 5096
प्रति,

शिवपुरी दिनांक/ 07/09/2020

प्रबन्धक

जियो डिजिटल फाइबर प्रा0लि0

भोपाल

विषय :- शिवपुरी जिले (jio digital fiber pvt ltd द्वारा pichhore – khaniyadhana Route) में ओ एफ सी लाइन डालने हेतु 0.50 हैक्टर वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने वावत ।

संदर्भ:- आपका ऑन लाइन आवेदन प्राप्त दिनांक 20.01.2020 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबन्ध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ -5/ विविध / 2019/10-11/3647 दिनांक 13.11.2019 एवं पत्र क्र. 816 दिनांक 28.02.2020 ।

—00—

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि उक्त आर्टीकल फाइबर लाईन निम्न कक्ष क्रमांकों से होकर गुजर रही है जिसमें कक्ष क्रमांक आर 317,319, पी 1162 का भाग प्रभावित होगा जिसकी कुल लम्बाई 10000 मीटर एवं चौड़ाई 0.5 मीटर कुल रकबा 0.500 हैक्टर में बिना वृक्षों को काटते हुए । वनक्षेत्र के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत आवेदक संस्था से प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक ,शिवपुरी वृत्त शिवपुरी के पृष्ठांकन क्रमांक /डी.एम./2019/ 2687 दिनांक 25/07/2020 से प्राप्त अनुमोदन उपरांत निम्न लिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त वनक्षेत्र अंतर्गत पिछोर से खनियाधाना तक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3884 दिनांक 27.07.2020 से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ -5/ विविध/2019/10-11/2784 दिनांक 29.08.2020 के पालन में औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी ।
2. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के क्षेत्र के लिये दी जा रही है । यदि राइट ऑफ वे के क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
3. ऑप्टीकल फाइबर केवल लाईन विछाने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित लम्बाई 10000 मीटर चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.75 मीटर क्षेत्र में ही मौके पर कार्य करना होगा ।

4. प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों को काटा नहीं जावेगा और न ही वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों को क्षति पहुंचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को भी काटा नहीं जावेगा।
5. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। भूमि के प्रयोजन के वगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।
7. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित वन भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।
8. वन क्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगे।
9. आर्टीकल फाईवर केवल लाईन विछाने के उपरांत खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से आपके द्वारा अपने व्यय पर समतलीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
10. समतलीकरण कार्य आपके द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा तथा उसके लिए मिट्टी तथा पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
11. यदि आपके द्वारा तथा ठेकेदार द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि/क्षति पहुंचाई जाती है तो जो वनक्षेत्र की हानि होगी वह इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी। जो आपके द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगी।
12. यदि आवेदक संस्था द्वारा उक्त कार्य के रखरखाव के लिए यदि कोई भी कार्य कराया जाता है तो बिना वनमण्डलाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जावेगा।
13. म.प्र. शासन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य कोई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं तो आवेदक संस्था मानने के लिए बाध्य होगी।
14. यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रदान की गई सशर्त स्वीकृति व वन अधिनियमों का किसी प्रकार से मौके पर उल्लंघन किया जाता है, इस कार्यालय द्वारा दी गई स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
15. आवेदक संस्थान वरिष्ठ द्वारा अधिरोपित दाण्डिक एन पी व्ही की राशि 1,56,500/- का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने के उपरांत उक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ललित भारती)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / डी.एम./2020/ 5097

शिवपुरी दिनांक/ 07/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
3. जिलाध्यक्ष, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
4. उपवनमण्डलाधिकारी करैरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी पिछोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र.)